

8/10/21

Form No-|||

फर्द अहकाम (नियम 26)

राज अदालत

उपखण्ड अधिकारी

मुकाम

रायसिंहनगर

कुन्दन सिंह 18 PTD(B) बनाम सरकार

किरम मुकदमा 136 एल आर एकट

नम्बर 53 सन् 2021

जी.सी.एम.एस. आईडी 2021 /

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियटिव्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी किए
8/10/2021	<p>तहसीलदार भू.अ./नायब तहसीलदार <u>सरोज</u> रायसिंहनगर के पत्रांक/भू.अ./प्र.गा.सं.अ./2021/ दिनांक 8/10/2021 के द्वारा प्रशासन गांवों के संग अभियान-2021 कैम्प कोर्ट ग्राम पंचायत 6/8 LPM में प्रार्थी के नाम चक 9 LPM की जमाबंदी सम्वत् 2076-2079 के खाता सं. 40 में 2.109 हे० <u>कुन्दन सिंह 18 PTD(B)</u> के खाता सं. 40 में 2.109 हे० <u>कुन्दन सिंह 18 PTD(B)</u> के स्थान पर <u>सरोज कुन्दन सिंह 18 PTD(B)</u> निवात 18 PTD(B)</p> <p>की दुरुस्ती किये जाने की अनुशंषा की हैं। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर हो। मजमा-ए-आम कैम्प कोर्ट में तहसीलदार/नायब तहसीलदार रिपोर्ट अनुसार दुरुस्ती किए जाने पर किसी व्यक्ति द्वारा कोई आपत्ति जाहिर नहीं की गयी हैं। अतः तहसीलदार/नायब तहसीलदार <u>सरोज</u> रायसिंहनगर की अनुशंषा के आधार पर वाके चक 9 LPM तहसील रायसिंहनगर की जमाबंदी सम्वत् 2076-2079 के खाता सं. 40 में 2.109 हे० <u>कुन्दन सिंह 18 PTD(B)</u> के स्थान पर <u>सरोज कुन्दन सिंह 18 PTD(B)</u> की दुरुस्ती करने के आदेश दिए जाते हैं। शेष अंकन बदस्तूर रहेगा। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड दुरुस्त किया जावे। इसी आशय का आदेश तहसीलदार रायसिंहनगर के नाम जारी हो। पत्रावली फौसले में शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। आदेश मजमा-ए-आम मे सुनाया गया।</p>	

(अर्पिता सानी)
उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर

